न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः दिनेश चन्द, एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड सं०– यू0 पी0 6538

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 306/2026

(C.N.R. UPET010007172026)

अर्जुन उम्र 29 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश, निवासी ग्राम पिदौरा, थाना मारहरा, जिला एटा।

–––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार –––––विपक्षी

मु०अ०सं०–81/2025
धारा–80(2),85 बी०एन०एस० एवं
3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–मारहरा, जिला एटा।

06.03.2026

आवेदक/अभियुक्त **अर्जुन** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**81/2025,** धारा–**80(2),85 बी०एन०एस०** एवं **3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,** थाना–**मारहरा**, जिला एटा के मामले में जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकेश कुमार ने अपनी बहन विमलेश की शादी करीब तीन माह पहले अर्जुन के साथ में की थी। शादी में करीब 10 लाख रुपये खर्च किया था, कुछ दिन तक विमलेश को परिवार के लोगो ने ठीक–ठाक रखा, उसके बाद दहेज में अतिरिक्त 2 लाख रुपये नगद और 1 बुलट गाडी की माँग करने लगे। माँग न पूरी होने पर ससुरालीजन पति अर्जुन, ससुर ओम प्रकाश, सास मीरा, ननद हेमा, देवर यश कुमार, विवाहित ननद गुडिया व नीतू दहेज की माँग पूरी न होने पर विमलेश के साथ में मारपीट करने लगे। मारपीट की जानकारी विमलेश ने जब अपने मायके में दी तो इन सभी लोगो ने मिलकर विमलेश की हत्या आज दिनांक 13.06.2025 को अपने घर पर कर दी और सुबह फोन के द्वारा विमलेश की मौत की सूचना अर्जुन ने दी और विमलेश के शव को ठिकाने लगाने के लिए ससुराल के लोग एक सूनसान जगह पर ले गए, जहाँ विमलेश के शव को ठिकाने लगाने की तैयारी चल रही थी। वे सभी लोग जब वहाँ पहुँचे तो वह विमलेश के शव को छोडकर फरार हो गए।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क देते हुए कहा गया है कि आवेदक निर्दोष है। उसे मुकदमा उपरोक्त में महज नाराजगी के कारण झूठा फँसाया गया है। आवेदक के खिलाफ कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है। उसको कथित घटना कारित करने का कोई मोटिव नहीं है। आवेदक बाहर रहकर मजदूरी पर ठेकेदार की ठेल पर

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.03.06 15:30:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आइसक्रीम बेचने का कार्य करता था। इस कारण उसकी शादी बिना दान दहेज के साधारण तौर से हुई थी। आवेदक ने अपनी पत्नी को अपनी हैसियत के अनुसार सभी सुख सुविधायें दी थी तथा लाड़ प्यार से रखा था। आवेदक के विरुद्ध सामान्य किस्म के आरोप लगाये गये है। आवेदक की पत्नी विमलेश द्वारा स्वयं फाँसी लगा लेने की सूचना मोबाइल से अपनी सुसराल दी थी, हत्या करने वाला कभी स्वयं सूचना नहीं देगा। आवेदक की पत्नी विमलेश ने जब फाँसी लगायी थी, उस समय वह घर पर अकेली थी। आवेदक घर से बाहर था। आवेदक ने अपनी पत्नी विमलेश व उसके परिजन से कभी भी दो लाख रुपये व बुलेट मोटरसाइकिल की मांग नहीं की, ना ही अतिरिक्त दहेज के कारण प्रताड़ित कर हत्या की। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण एफ०आई०आर० में नहीं है। आवेदक के विरूद्ध दहेज मांगने से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। सहअभियुक्त ओमप्रकाश की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक दिनांक 09.07.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

इसके विपरीत जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी की बहन विमलेश से अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये व एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की गयी, जिसकी पूर्ति न होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित कर मारपीट की गयी एवं दहेज हत्या विवाह के मात्र चार माह के अन्दर कारित कर दी गयी। अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन प्रपत्र के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण/ परिवारीजन के साथ मिलकर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर वादी की बहन विमलेश के साथ मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की गयी तथा अतिरिक्त दहेज की खातिर वादी की बहन विमलेश की दहेज हत्या विवाह के मात्र चार माह के अंदर असामान्य/ संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी ससुराल में कर दी गयी है।

मृतका विमलेश की शव–विच्छेदन आख्या में उसके गर्दन पर लिगेचर मार्क होना एवं मृतका की मृत्यु का कारण, मृत्यु पूर्व फांसी लगने से श्वांसारोध होने के कारण अंकित है।

यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि आवेदक/अभियुक्त, मृतका का पति है तथा मृतका की मृत्यु, विवाह के चार माह के अन्दर, सामान्य परिस्थितियों से इतर अभियुक्त के घर में हुयी है, जबकि मृतका के संरक्षण का दायित्व पति होने के कारण आवेदक/अभियुक्त पर था। सहअभियुक्तगण ओमप्रकाश एवं मीरा देवी की जमानत इस न्यायालय से निरस्त की जा चुकी है। प्रथम दृष्ट्या मामला गंभीर प्रकृति का दर्शित होता है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आधार जमानत पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **अर्जुन** की ओर से अपराध संख्या– **81/2025,** धारा– **80(2),85 बी०एन०एस०** एवं **3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,** थाना–**मारहरा**, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनॉकः 06.03.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा।
JO Code UP 6538